# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | अशोक बनाम छीतर<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1268/2024<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/04/2026 को पेश हो | | |
| 10/04/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं घोषणा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2024 पारित करते हुये तहसीलदार सांगानेर को विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 0.61 हैक्टेयर वाके ग्राम खतवाडा, पटवार हल्का महापुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र भाकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को विधिवत रूप से नोटिस भेजकर बाद तामील मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की ट्रेक रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की तामील हुये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त ट्रेक रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना केवल मात्र ट्रेक रिपोर्ट पेश हो जाने के आधार पर प्रतिवादीगण को बावजूद तामील अनुपस्थित होना मानते हुये उन्हें सुनवाई के अवसर से वंचित रखते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है जबकी क़ानूनी प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक पक्षकारान की समुचित तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर गलत रूप से तामील मानते हुये प्रतिवादीगण/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर त्रुटी किया जाना प्रकट होता है | ऐसेमें अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है | | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | अशोक बनाम छीतर<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2024 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान की समुचित तामील करवाते हुये उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |